भारत सरकार / Government of India
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / Ministry of Finance, Department of Revenue
कार्यालय सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क संभाग, जोधपुर
O/o ASSISTANT COMMISSIONER, CUSTOMS DIVISION, JODHPUR
कस्टम्स हाऊस ,पाँच बत्ती चौराहा ,रातानाडा ,जोधपुर-342001
CUSTOMS HOUSE, PANCH BATTI CIRCLE, JODHPUR-342001
फोन0291- 2512438-फैक्स-0291- 2512917

कार्यालय सुरक्षा हेतु ई–निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कार्यालय अपर आयुक्त, सीमा शुल्क उप–आयुक्तालय, कुचामन बंगलो, पांच बत्ती चौराहा, रातानाडा, जोधपुर स्थित कार्यालय भवन की सुरक्षा के लिए 3 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाने के लिए **पंजीकृत सुरक्षा सेवाप्रदाता/एजेन्सीयों** से Online E-procurement द्वारा निविदाये आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र एवं शर्तो का विवरण विभागीय वेबसाईट GeM Portal अथवा http://rajasthancustoms.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।

2. इस कार्यालय को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओ को, बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस विज्ञप्ति में किसी भी संशोधन/बदलाव का प्रकाशन केवल उक्त वेबसाईटस् से ही जारी किया जायेगा, न्यूज पेपर में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

अधीक्षक(प्रशासन)

अनेक्जर – I

(अ) कार्यालय का पूर्ण पता एवं कार्य का विवरण –

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कार्यालय अपर आयुक्त, सीमा शुल्क उप–आयुक्तालय, कुचामन बंगलो, पांच बत्ती चौराहा, रातानाडा, जोधपुर स्थित कार्यालय भवन की सुरक्षा के लिए 3 सुरक्षा गार्ड वार्षिक अनुबंध के आधार पर उपलब्ध करवाने के लिए **पंजीकृत सुरक्षा सेवाप्रदाता/एजेन्सीयों** से Online GeM Portal द्वारा निविदाये आमंत्रित की जाती है।

अनेक्जर – II

(ब) निविदा प्रकिया –

1. निविदा दो भागों में स्वीकार की जाएगी – (1) तकनीकी निविदा एवं (2) वित्तीय निविदा (in BOQ Format)। तकनीकी निविदा के लिए अनुलग्नक 'III' में व वित्तीय निविदा BOQ Format में एवं निविदा स्वीकृति पत्र (अनुलग्नक 'V') में निर्धारित प्रपत्र पूर्ण करके अलग–अलग संलग्न करना होगा। ऑनलाइन निविदा में अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों की प्रतियां सुस्पष्ट होनी चाहिए।

   निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) केवल GeM Portal पर ऑनलाइन जमा की जाएगी। निविदा अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं की जायेगी। ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने या GeM Portal से संबंधित कोई भी प्रश्न के लिए GeM Portal हैल्पडेस्क से सम्पर्क किया जा सकता है। इस सम्बंध में इस कार्यालय से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

निविदा से संबंधित समय सीमा का विवरणः–

Published Date	6th March 2023 (3.00 P.M.)
Bid Document Download Start Date	6th March 2023 (3.00 P.M.)
Bid Submission Start Date	6th March 2023 (3.00 P.M.)
Bid Document Download End Date	16th March 2023 (11.00 A.M.)
Bid Submission End Date	16th March 2023 (11.30 A.M.)
Technical Bid Opening Date	16th March 2023 (12.00 P.M.)
Financial Bid Opening Date	Will be intimated to Technically qualified firms.

सामान्य नियम एवं शर्तें–

1. निविदाकर्ता को निविदा के साथ राशि **रू. 20,000/– अमानत राशि** का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), सीमा शुल्क उप–आयुक्तालय जोधपुर के नाम जो एस. बी. आई., जोधपुर में देय हो जमा कराना होगा। बिना अमानत राशि के निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान सफल निविदादाता की तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में अपूर्ण/गलत सूचनाए पाई गई या सफल निविदादाता द्वारा अपनी निविदा वापिस लेने का अनुरोध किया गया तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी। असफल निविदादाता को चयन प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद बिना ब्याज के अमानत राशि लौटा दी जायेगी।
2. **फर्म का ऑफिस/अधीनस्थ ऑफिस जोधपुर होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ अपलोड किया जाए।**
3. निविदाकर्ता को ई.एस.आई, भविष्य निधि एवं सेवाकर में पंजीकृत होना चाहिए तथा उसे सिक्यूरिटी गार्ड सप्लाई करवाने का अनुभव होना चाहिए। निविदाकर्त्ता को फर्म का विगत दो वर्षों की बैलेंस सीट एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र (स्वंय द्वारा प्रमाणित) तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। विगत 1 वर्ष की आयकर व GST विवरणी संलग्न करनी होगी। निविदाकर्ता के पास वैध Permanent Account Number (PAN) होना चाहिए। यदि किसी फर्म को कार्यकाल के दौरान किसी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया हो तथा उसकी अमानत राशि जब्त कर ली गयी हो, तो वह फर्म निविदा भरने के योग्य नहीं है।
4. सफल निविदादाता की निविदा स्वीकृति होने पर, एजेन्सी को कार्य आदेश देने की तिथि के एक माह के भीतर–भीतर, अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि की मुल्य राशि के 5 प्रतिशत के बराबर performance security के रूप में, व्यावसायिक बैंक की, बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर/डिमाण्ड ड्राफ्ट जो अनुबंध समाप्त होने के 60 दिनों के बाद की अवधि तक वैध होगी, **''प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ), सीमा शुल्क उप–आयुक्तालय जोधपुर''** के नाम जमा करवाना होगी जो संविदा समाप्त होने के पश्चात बिना ब्याज के निविदादाता को लौटा दी जायेगी।
5. यदि सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर–भीतर कार्य नहीं संभाला जाता है अथवा सेवाप्रदाता कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवा पाता है अथवा performance security जमा नहीं करवाता है अथवा अन्य किसी भी कारण से कार्य निष्पादित करने की अनिच्छा लिखित में प्रस्तुत करता है तो उनके द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उनके अगले निम्न उत्तरदायी निविदाकर्ता (Next lower responsive Bidder) को न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ता की दरों पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है।
6. निविदाकर्ता को चाहिए कि वह एनेक्जर – II में उल्लेखित निबंधन एवं शर्तों से संतुष्ट होने पर ही अपनी निविदा प्रस्तुत करे। इस हेतु निविदादाता अनुलग्नक II के निबंधन एवं शर्तों पर पृष्ठ नम्बर

अंकित कर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा तथा अंतिम पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर मय मोहर के हस्ताक्षर करेगा तथा उसे तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करेगा। निविदा के साथ लगाए गए सभी दस्तावेजों पर भी पृष्ठ नम्बर अंकित कर प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के मय मोहर हस्ताक्षर होने चाहिए।

7. वित्तीय निविदा में दरें अंको व शब्दों दोनो रूपों में स्पष्टतः उल्लेखित होनी चाहिए। अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में प्रस्तुत दर को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. अपूर्ण भरी हुई निविदाएं या गलत सूचनाएं पाई जाने पर निविदाएं निरस्त कर दी जाएंगी।
9. सभी योग्य निविदाओं का तुलनात्मक चार्ट सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा तथा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् सफल निविदादाता को यथानुसार सूचित कर दिया जाएगा।
10. सफल निविदादाता (फर्म) को आदेश प्राप्त होने के 7 दिवस की अवधि के भीतर–भीतर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।

निबंधन एवं शर्तें

1. ऐजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सुरक्षाकर्मी जो 50 वर्ष की आयु से अधिक ना हो तथा स्वस्थ्य हो तथा उनके पूर्ववर्ती चरित्र एवं आचरण को सत्यापित करवाना होगा।
2. ऐजेन्सी को तैनात किये जाने वाले सुरक्षा कर्मियों के नाम, पते पूर्ण विवरण एवं पूर्व में जहां तैनात रहे थे के प्रमाण एवं उनके द्वारा जारी प्रशंसापत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।
3. ऐजेन्सी को, किसी भी समय, बिना कारण बताये विभाग द्वारा आपति होने पर वांछित किसी भी सुरक्षाकर्मी को तैनात करना या उन्हें हटाना होगा।
4. ऐजेन्सी को सुनिश्चित करना होगा कि उनका प्रतिनिधि तैनात किये गये सुरक्षाकर्मियों के कर्तव्य के दौरान अनुशासन एवं दक्षता का निरीक्षण करेगा।
5. ऐजेन्सी को सुरक्षाकर्मियों के लिए निर्धारित वर्दी उनके नाम के बैज आदि प्रदान करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका उपयोग तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा उचित प्रकार से करेगें। सुरक्षाकर्मी शिफ्ट प्रणाली के अनुसाार प्रतिदिन 8 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे।
6. एजेंसी अग्निशमन सुरक्षा कार्यो के सभी पहलुओ सहित प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड तैनात करेंगी।
7. आगंतुको का विवरण विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित दस्तावेजो के अनुसार रिकार्ड बनाना होगा तथा उन्हें उचित एवं सम्मानजनक रूप से सहयोग करना होगा।
8. ऐजेन्सी को यह सुनिश्चित करना होंगा कि किसी भी कारणवश किसी भी सुरक्षाकर्मी को अन्य विभाग/संस्थान में प्रतिस्थापन करना चाहेगी तो विभाग की सहमति एवं पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
9. ऐजेन्सी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा तैनात किये गये सुरक्षाकर्मी अनुशासित हो तथा भारत सरकार/राज्य सरकारो या किसी संघ शासित प्रदेश के के हितो के लिए पूर्वाग्रह से संबंधित किसी भी गतिविधियों में भाग नहीं ले।
10. विभाग के निर्देशानुसार दिन–प्रतिदिन के कार्यो/सेवाओ के संबंध में विचार–विमर्श/ परामर्श किया जायेगा।सुरक्षा प्रणालियों के कुशल कामकाज के प्रस्तावों पर ऐजेंसी द्वारा समय–समय पर विभाग की मंजूरी के साथ चर्चा,विचार और कार्यान्वयन किया जायेगा।
11. ऐजेन्सी न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआई आदि के प्रावधानो के अनुपालन के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगी। ऐजेन्सी के द्वारा तैनात कर्मियों से संबंधित या उनके कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना एवं इससे संबंधित किसी भी तरह के खर्चो के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। ऐजेंसी को किसी भी कारण से विभाग द्वारा बिल के निपटान में देरी के बावजूद भी निर्धारित तिथि तक उनके द्वारा लगाये गये श्रमिको को मजदूरी का भुगतान करना होगा। ऐजेंसी अपने कर्मियों के बीमा के लिए जिम्मेदार होगी तथा सुरक्षा ऐजेंसी विशेषरूप से विभिन्न कानूनों/अधिनियमों के अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
12. कार्यालय में किसी भी तरह की चोरी, हानि या अन्य अपराधों के मामलो में एजेंसी जांच करेगी एवं विभाग को रिपोर्ट करेगी तथा एजेन्सी अपने स्तर पर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवायेगी यदि जहां कहीं आवश्यक हुआ तो विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो दोनो पक्षो की संयुक्त जांच आयोजित की जायेगी एवं जिम्मेदारी तय की जायेगी।
13. सुरक्षा कर्मियों के सुरक्षा जिम्मेदारियों के निर्वहन में होने वाले विलम्ब के कारण विभाग को होने वाले किसी भी नुकसान के मामले में, विभाग को ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल में से उचित राशि काटने एवं शास्ति लगाने का अधिकार होगा। सुरक्षा कर्मियों द्वारा निरन्तर चूक के मामलो में, विभाग को किसी भी समय, बिना कारण बताये अनुबंध समाप्त करने या किसी भी अन्य कार्यवाही का अधिकार होगा।
14. किसी भी सुरक्षाकर्मी के अवकाश पर होने, अनुपस्थित होने की स्थिति में एजेन्सी को उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
15. विभाग को जब भी अस्थाई तौर पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता होगी तो एजेन्सी को उन्हीं नियमो एवं शर्तो एवं दरो पर सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाने होंगे। एजेन्सी द्वारा तैनात

सुरक्षाकर्मी ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित/सोया हुआ या अन्य अनियमित गतिविधियों में पाया जाता है तो विभाग एजेंसी के बिल से अनुपातिक रूप से राशि काटने एवं जुर्माना लगाया जा सकता है।

16. एजेंसी सुरक्षा डेस्क व्यवस्था बनाना होगा जिसमें उनके द्वारा तैनात कर्मियों के दैनिक आगमन एवं प्रस्थान समय का उपस्थिति रिकार्ड का रखरखाव करना होगा। ऐजेन्सी को सुरक्षाकर्मीयों के उपस्थिति रिकार्ड की सत्यापित प्रति मासिक बिल के साथ संलग्न करनी होगी।
17. अनुबंध की अवधि के दौरान सरकार द्वारा सुरक्षा कर्मियो के वेतन एवं भत्ते में वृद्धि होने/संशोधित होने की स्थिति में विभाग द्वारा ऐजेन्सी को बढी हुई राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। विभाग द्वारा एजेन्सी को अनुबंध में तय राशि का ही भुगतान किया जायेगा किन्तु एजेन्सी को अपने कर्मियों को न्यून्तम मजदूरी का भुगतान करना होगा।
18. एजेन्सी द्वारा तैनात किये जाने वाले सुरक्षाकर्मी पढने–लिखने का न्यूनतम प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए तथा सुरक्षा डेस्क पर रखे गये रजिस्टरों में, कार्यालय में प्रवेश करने वाले आगन्तुको के नाम, पता एवं आगमन एवं प्रस्थान समय का इन्द्राज करने में सक्षम हो।
19. एजेन्सी को नियम एवं शर्तो की व्याख्या के संबंध में विभाग का निर्णय एवं अनुबंध को मानने के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
20. एजेंसी एवं विभाग के मध्य किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में विभाग को निर्णय लेने का अधिकार होगा जो मान्य होगा।
21. निर्देशो/अनुबंध या तथ्यों के छिपाने का कोई भी उल्लघंन करने की स्थिति में तुरन्त अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।

भुगतान की शर्ते

1. सेवाप्रदाता को प्रतिमाह की एक तारीख को आवश्यक रूप से दो प्रतियों में कार्यालय में मासिक बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। सेवाप्रदाता को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत् प्रचलित टीडीएस की कटौती कर यदि हो, भुगतान किया जाएगा। अधिकृत अधिकारी से संतोषजनक कार्य किए जाने संबंधित प्रमाण पत्र बिल के साथ संलग्न करने पर ही भुगतान किया जायेगा।
2. सेवाप्रदाता को प्रतिमाह बिल के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा लगाये गये कामगारो को केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी एक्ट के तहत तय की गई मजदूरी की दरों के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया कर दिया गया है तथा पीएफ/ईएसआई व सेवाकर के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। उसे समयानुसार पीएफ ईएसआई तथा जीएसटी से सम्बन्धित चालान आदि दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। सेवाप्रदाता द्वारा प्रतिमाह इस कार्यालय में कार्य पर लगाये गये प्रत्येक श्रमिक का नाम, भुगतान की गई राशि, कटौती का विवरण, पी.एफ. खाते में जमा राशि एवं ई.एस.आई. की राशि का स्टेटमेन्ट प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा।
3. यदि किसी अपरिहार्य कारणोवश इस कार्यालय द्वारा मासिक मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में सेवाप्रदाता फर्म को अपने कर्मचारियों को समय पर पूर्ण भुगतान करना होगा।
4. यदि इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त हुई कि सेवाप्रदाता अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहा है तो उसके बिल/जमा करवाई गई performance security में से उनके मजदूरों को देय भुगतान की राशि काट कर शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
5. सेवाप्रदाता को, वसूली की जाने वाली राशि की कटौती करके, यदि कोई हो तो, प्रतिमाह फर्म के बैंक खाते में बिल का भुगतान सीमा शुल्क संभाग जोधपुर द्वारा ई–पेमेन्ट से किया जायेगा।

मै/हम उक्त नियम एवं शर्तो से सहमत हूँ/है ।

हस्ताक्षर मय तिथि .....
नाम .....
फर्म का नाम .....
मोहर

एनेक्जर– III

तकनीकी निविदा

सुरक्षा सेवा की निविदा के लिए आवश्यक पूर्व–योग्यता निर्धारण हेतु प्रोफार्मा

01	एजेन्सी का नाम	
02	डायरेक्टर / पार्टनर / प्रोपराईटर का नाम	
03	पूर्ण पता एवं दूरभाष / मोबाईल / फैक्स नम्बर	
04	सम्पर्क व्यक्ति का विवरण (नाम / पता / टेलिफोन नम्बर)	
05	एजेन्सी का विवरण (क्या एजेन्सी प्रोपराईटरशिप / पार्टनरशिप / कम्पनी है)	
06	आयकर पैन नम्बर (फोटोप्रति संलग्न करें) विगत 2 वर्ष की आयकर विवरणिका संलग्न करें।	
07	जीएसटी / सेवाकर पंजीकरण संख्या (फोटो प्रति संलग्न करें) विगत 2 वर्ष की सेवाकर विवरणिका संलग्न करें।	
08	क्या फर्म कॉन्ट्रेक्ट (रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत एवं अनुज्ञादारी है(प्रति संलग्न करें)	
09	रीजनल प्रोविडेंट फंड कार्यालय द्वारा आवंटित प्रोविडेंट फंड संख्या (प्रति संलग्न करें)	
10	ईएसआई पंजीकरण संख्या (प्रति संलग्न करें)	
11	सिक्यूरिटी लाइसेंस सं. (प्रति संलग्न करे)	
12	गत दो वर्षों का अनुभव का विवरण (कृपया सरकारी / पब्लिक अण्डरटेकिंग का कार्यआदेश / सेवा प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
13	अन्य सरकारी / पब्लिक अण्डरटेकिंग जहां वर्तमान में कार्य लिया हो की सूची मय प्रमाण पत्र	
14	फर्म के कुल स्टॉफ / कर्मचारियों की संख्या	
15	धरोहर राशि का विवरण	

मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि मेरी / हमारी जानकारी के अनुसार उक्त दी गई सूचनाएं पूर्ण एवं सही है। मैं / हम जानते हैं कि उक्त दिए गए विवरण में कोई भी सूचना या विवरण गलत पाया जाता है तो सुरक्षा सेवा के अनुबंध को निरस्त किया जा सकजा है, अमानत राशि जब्त की जा सकती है एवं भविष्य में हमें ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है।

हस्ताक्षर मय तिथि .....
हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....
फर्म का नाम .....
मोहर .....

निविदाकर्ता द्वारा तकनिकी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेजो को अपलोड किया जाना है :–

1. Earnest Money Deposit की हस्ताक्षरित एवं स्केण्ड कॉपी।
2. पैन नं. / सेवाकर / जीएसटी पंजीकरण (यदि हो) ईएसआई / ईपीएफ पंजीकरण / सिक्यूरीटी लाइसेंस की हस्ताक्षरित एवं स्केन्ड कॉपी।
3. निविदा प्रस्तुत करने हेतु निविदा स्वीकृति पत्र एवं प्राधिकृत पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्केन्ड प्रति।
4. केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शाषित प्रदेशो द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं है एवं किसी भी सरकार से, किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी लंबित नहीं है से संबंधित स्वय् प्रमाणित प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित प्रति।
5. पिछले 2 वर्ष की बैलेंस शीट की हस्ताक्षरित एवं स्केन्ड प्रति।
6. तकनिकी निविदा प्रपत्र की हस्ताक्षरित एवं स्केन्ड प्रति।

एनेक्जर– IV

TENDER ACCEPTANCE LETTER
(To be given on Company Letter Head)

To,

_____
_____
_____

Sub: Acceptance of Terms & Conditions of Tender.

Tender Reference No: _____

Name of Tender / Work: -

_____
_____
_____

Dear Sir,

1 . I/ We have downloaded / obtained the tender document(s) for the above mentioned 'Tender/Work' from the web site(s) namely:

_____
_____

as per your advertisement, given in the above mentioned website(s).

2. I / We hereby certify that I / we have read the entire terms and conditions of the tender documents from Page No. _____ to _____ (including all documents like annexure(s), schedule(s), etc.,), which form part of the contract agreement and I / we shall abide hereby by the terms / conditions / clauses contained therein.

3. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organisation too has also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.

4. I / We hereby unconditionally accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) / corrigendum(s) in its totality / entirety.

5. In case any provisions of this tender are found violated, then your department/ organisation shall without prejudice to any other right or remedy be at liberty to reject this tender/bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours Faithfully,

(Signature of the Bidder, with Official Seal)

एनेक्जर– V

वित्तीय निविदा

Price bid in the form of BOQ_XXXX .xls

सुरक्षा सेवा कार्यों की निविदा के लिए दरें प्रस्तावित करने हेतु प्रोफार्मा

1. फर्म/पार्टी का नाम व पता :

2. टेलीफोन/फैक्स/मोबाईल नम्बर :

3. प्रोपराईटर/पार्टनर्स/निदेशकों के नाम व पते मोबाईल नम्बर सहित :

4. दरों का विवरण :

क्र.सं.	विवरण	संख्या	प्रति सुरक्षाकर्मी मासिक दर (रू.)	कुल राशि (प्रतिमाह)
1	2	3	4	5
1	सुरक्षा कर्मी	3		

5. सेवाकर/जीएसटी व अन्य कर यदि लागू हों (विवरण सहित) (आयकर सेवाप्रदाता द्वारा वहन किया जाएगा) :

6. सुरक्षा सेवा के लिए कुल मासिक दरः अंकों में .....

शब्दों में .....

नोटः उक्त वर्णित राशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह के टैक्स या अन्य अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर मय तिथि .....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....

फर्म का नाम .....

मोहर .....